कार्यालय जिला परिषद, उदयपुर(राज.)

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियानः–

जल, स्वच्छता एवं मानव स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध हैं। हमारे चारों ओर फैलने वाली बीमारियों में लगभग 80 प्रतिशत बीमारियां जल एंव मल से संबंधित हैं। स्वच्छता की स्थिति ठीक न होने के कारण शिशु एवं मातृ मृत्यु दर अधिक हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के सभी घटकों का समावेश करते हुए एक नया कार्यक्रम आरंभ किया गया। आज यह कार्यक्रम सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से देश के अधिंकांश राज्यों में चलाया जा रहा हैं।

- यह अभियान समुदाय–प्रधान एवं जन–केन्द्रित अभियान हैं।
- इसमें घरों, पाठशालाओं में स्वच्छता सुविधाओं एवं स्वच्छ वातावरण हेतु लोगों व बच्चों को जागरूक बनाकर मांग पैदा करने पर जोर दिया जाता हैं।
- समुदाय को कम लागत वाली उपयोगी प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रकारों की जानकारी देकर उन्हें अपने अनुकूल विकल्प चुनने का अवसर दिया जाता हैं।
- निजी पारिवारिक शौचालय इकाइयों के लिए छूट/सब्सिडी के स्थान पर अत्यधिक गरीब परिवारों(केवल बी.पी.एल./चयनित) को 1200 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही हैं।
- बच्चों छात्रों को परिवर्तन का कारक बनाने हेतु आंगनवाड़ी एवं विद्यालय स्वच्छता इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं।

उद्धेश्यः–

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के मुख्य उद्धेश्य निम्नलिखित हैं:–

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रहन–सहन में सुधार लाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को और व्यापक बनाने के लिए तेज गति से कार्य करना।
- जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्वच्छता की सुविधाओं के लिए मांग पैदा करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों/आंगनवाड़ियों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना और छात्र–छात्राओं के बीच स्वास्थ्य–शिक्षा को बढावा देना एवं साफ–सफाई की आदत डालना।
- स्वच्छता के क्षेत्र में कम लागत वाली उपयोगी प्रौद्योगिकी को बढावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सुखे शौचालयों को जलबद्ध शौचालयों में बदलना और मानव द्वारा मैला ढोने की प्रथा समाप्त करना।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के सात घटकः–

- पेय जल का सुरक्षित रख–रखाव
- बेकार पानी का सुरक्षित निपटान
- मानव मल का सुरक्षित निपटान
- ठोस कचरे का निपटान
- व्यक्तिगत स्वच्छता
- घर एवं भोजन की स्वच्छता
- सामुदायिक एवं ग्रामीण स्वच्छता

निर्मल ग्राम पुरस्कारः–

- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कियान्वयन को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2003 को निर्मल ग्राम पुरस्कार की योजना आरंभ की गई हैं।
- ग्राम पंचायते जो स्वच्छता के सभी घटकों को पूरा करती हो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता हैं।
- यदि पंचायत समिति व जिला की सभी ग्राम पंचायतें इस मानदण्ड को पूरा कर लेती हैं, तो वे भी पुरस्कार के पात्र हो सकते हैं।
- इन कार्यकम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व गैर सरकारी संगठनों को भी पुरूस्कृत करने का प्रावधान हैं।

राजस्थान सरकार की प्रोत्साहन राशिः–

- राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य स्तरीय निर्मल ग्राम पुरस्कार की घोषणा की गई हैं।
- निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रूपये का नकद पुरस्कार पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने हेतु दिया जाएगा।
- यदि किसी पंचायत समिति में 10 और किसी जिला परिषद में 30 से अधिक पंचायतों को यह पुरस्कार प्राप्त होता हैं, तो उस पंचायत समिति को 5 लाख रूपए तथा जिला परिषद को 10 लाख रूपए का नकद पुरस्कार अपने क्षेत्र में स्थाई विकास कार्य करवाने के लिए दिया जाएगा।
- यदि कोई जिला परिषद इस पुरस्कार का पात्र बनती हैं एवं साथ में दो पंचायत समितियों में 10–10 गांव यह पुरस्कार पाते हैं, तो ऐसे जिले को कम से कम 50 लाख पुरस्कार में मिलेंगे।

प्रोत्साहन राशि का उपयोगः–

- पंचायती राज संस्थाए पुरस्कार/प्रोस्तासहन राशि का उपयोग अपने संबंधित क्षेत्र में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करने तथा उसके रख–रखाव के लिए करेंगी।
- पंचायती राज संस्थाए अपने क्षेत्र में सूखे एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ के निपटान, निकासी सुविधाओं एवं स्वच्छता मानदंड को यथावत बनाए रखने पर दिया जाना चाहिए।

इस जिले में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरूआत 31 अगस्त 2005 को की गई। अभियान अन्तर्गत जिले के सभी शौचालय विभिन्न राजकीय विद्यालयों तथा राजकीय भवनों में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों एवं 4.25 लाख घरों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के साथ–साथ 22 सामुदायिक शौचालय बनाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना का प्रचार–प्रसार जल चेतना यात्रा एवमृ स्वस्थ्य चेतना यात्राा के दौरान ग्राम सम्पर्क अभियान एवम् नुक्कड नाटक द्वारा किया गया है।

क.सं.	विवरण	लक्ष्य	स्वीकृत	उपलब्धि
1	राजकीय विद्यालयों में शौचालय निर्माण	2598	2375	715
2	राजकीय आंगनवाडी केन्द्रों में शौचालय निर्माण	1183	810	200
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण	22	4	1
4	व्यक्तिगत शौचालय (बी.पी.एल.)	218401	15994	10433
5	व्यक्तिगत शौचालय (ए.पी.एल.)	206871	–	1343

निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना

जिले में संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना हेतु जिले की प्रत्येक पंचायत समिति से इस वर्ष दो ग्राम पंचायतों का चयन विकास अधिकारी, आर.एस.यू., डी.एस.यू., सहायक अभियंता–सर्व शिक्षा अभियान व सरपंच से विचार विमर्श करके किया गया, जो निम्न प्रकार हैं:–

पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	
गिर्वा	अलसीगढ़	बलिचा
बडगॉव	कविता	चिरवा
मावली	नऊवा	नान्दवेल
सलूम्बर	बेडावल	सेरीया
सराडा	ईटाली	मल्लाडा
धरियावद	धरियावद	कूण
झाडोल	माकडादेव	मादडी
खेरवाडा	पहाडा	भूधर
गोगुन्दा	गोगुन्दा	सायरा
भीण्डर	खैरोदा	करणपुर
कोटडा	माण्डवा	बिकरणी

इस योजना की पूर्ण जानकारी देने बाबत् एक दिवसीय कार्यशाला दिनांक 18 जून 2007 को जिला परिषद, उदयपुर के सभागार में आयोजित की गई। जिसमें संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व शौचालय मिस्त्री को योजना की जानकारी दी गई तथा ऐसे कार्यों व उपायों पर चर्चा की गई जिससे बेहतर सफाई, स्वच्छता एवं स्वस्थ जीवनचर्या को अपनाने का प्रचलन हो सके व गॉवं के प्रत्येक परिवार में शौचालय निर्माण तथा उपयोग की जागरूकता पैदा हो सके। इस कार्यशाला का ध्येय निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं शौचालय मिस्त्री की सचेतनता वृद्धि कर, उन्हे अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों के प्रति अवगत कराया गया जिससे कि सभी साझेदारों को एक सूत्र में बांधा जाकर संयुक्त प्रयासों से निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु वर्ष 2007–08 में ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन किया जा सके। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक ग्राम पचांयत में परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा दूसरी ग्राम पचांयत में विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।